न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—39/2021 (2021/110) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—लाडु पिता तिलोक कुमावत निवासी रूपा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—गेहरू पिता तिलोक कुमावत निवासी रूपा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—नारायण पिता रामा गुर्जर निवासी रूपा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—पारस पिता रामा गुर्जर निवासी रूपा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—सुगना पुत्री रामा गुर्जर निवासी रूपा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—जमनी बेवा रामा गुर्जर निवासी रूपा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—भोजा पिता केला गुर्जर निवासी रूपा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. रितेश सुराणा — अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांकः—30.03.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि की खाता संख्या 118 में अकिंत आराजी संख्या 1012/272 रकबा 0.07 है0 अन्य आराजियात के साथ दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण के 1 भाई जौरू और है जो लाऔलाद फोथ हो गया है जिसका नाम जमाबन्दी में दर्ज है परन्तु उसका नामान्तकरण नही हुआ। प्रार्थीगण की उक्त कृषि आराजियात में बाड़े बना रखे है इसके चारो और पुरानी थोहर की बाड़ है जो टुट गई है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी पर विपक्षीगण आये दिन जबरन अवैध कब्जा करने का प्रयास करते रहते है तथा दिनांक 24.12.2019 को विपक्षीगण ने प्रार्थीगण की उक्त कृषि आराजियात पर अनाधिकृत प्रवेश हो ताकत के बल पर नीवे खोद कर निमार्ण कार्य शुरू कर दिया इस पर प्रार्थीगण द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने पर रूक गये परन्तु आये दिन दंखलदाजी करते है जिसको रोकने पर मरने मारने की धमकी देते है। उक्त भूमि पर विपक्षीगण द्वारा कोरोना महामारी में अदालते बंद होने का नाजायज फायदा उठाते हुए दिनांक 23.05.2021 को जबरन प्रार्थीगण की भूमि पर अवैध निमार्ण करने की नियत से नीवें खोद कर निमार्ण चालु कर दिया तथा रोकने पर मारने की धमकी देते है जिससे विपक्षीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जाना न्यायोचित [illegible] प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे है तथा [illegible] की रेकार्डेड खातेदारी है जिस पर विपक्षीगण द्वारा अवैध निमार्ण क[illegible] प्रार्थीगण क[illegible]पूर्णीय क्षति होगी जिसका आकलन नकदी में नही किया जा सकेगा। [illegible] है कि [illegible] प्रार्थीगण विरूद्व विपक्षीगण ताफैसला मूलवाद इस आशय की अ[illegible]ई निषेधाज्ञा सादिर [illegible] जाए कि ग्राम रूपाकाखेड़ा के खाता संख्या 118 में अकिंत आ.स. 1012/272 रकबा 0.07 है0 भूमि स्थित है में विपक्षीगण किसी प्रकार का अवैध निमार्ण नही करे, प्रार्थीगण को अपने हक एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:21:09 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से की भूमियों पर काश्त कर काश्त लाभ लेने देवे एवं किसी प्रकार की दंखलदाजी न तो स्वयं करे, न अन्य से करावे एवं मौके की यथास्थित बनाए रखे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 03.06.2021 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं विपक्षी संख्या 6 फोरमल पक्षकार जिनसे मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जो शामिल पत्रावली की गई।

विपक्षी संख्या 1 से 5 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अकंन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 व 2 को स्वीकार करते हुए कलम संख्या 3 कें जवाब में अकिंत किया कि जमीन गांव के पास होने का तथ्य अकिंत किया जो सही है। वादवर्णित आराजी पर प्रार्थीगण का 60–65 वर्षो से किसी प्रकार की कोई थोहर की बाड़ ही हैं। वादवर्णित भूमि पर विपक्षीगण अपने पूर्वजो के समय से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिस पर विपक्षीगण के मकानात बने हुए है जिनमें से आंशिक पुराना निर्माण गिराया गया है जिसकी पुरानी नींवे अभी भी मोजुद है हमारे द्वारा कोई अवैध कब्जा नही किया गया है। उक्त भूमि के एवज में प्रार्थीगण को उनके पूर्वजो के समय से ही विपक्षीगण की हाल आराजी संख्या 189 व 190 का कुल रकबा 0.21 है0 मे से आधा जो विपक्षीगण का बनता है वो दे रखा है। इस प्रकार प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के पूर्वजो के समय भूमि का विनिमय हुआ था उसी अनुसार प्रार्थीगण व विपक्षीगण मौके पर काबिज हो भूमियो का उपभोग उपयोग कर रहे है लकिन विनिमय की लिखापढ़ी व पंजीयन नही होने से भूमियां मूल खातेदारो से उनके वारीसान के नाम दर्ज चली आ रही है। अवैध कब्जा करने की नियत कोई निर्माण कार्य नही किया जा रहा है बल्कि हमारे जायज स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि पर जो वर्तमान मे सेवन से प्रार्थीगण के नाम दर्ज है से अपना पुराना निर्माण गिरवा नया निर्माण करवाया जा रहा है। वादवर्णित भूमि पर विगत 60–65 वर्षो से अधिक से काबिज है उन्हे बेदखल करने का कोई प्रश्न ही नही है। इस सम्बन्ध में पूर्व में विवाद होने पर दोनो पक्षो से इकरार नामे निष्पादित कर दिये है जिससे भी स्पष्ट है कि वादवर्णित भूमि पर प्रार्थीगण का काफी समय से कोई कब्जा नही है। प्रार्थीगण, विपक्षीगण के विरूद्व कोई स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नही है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमावे।

प्रस्तुत प्रकरण में मौका स्थिति बाबत् तहसीलदार रायपुर से रिपोर्ट ली गई जिसमें अंकित किया कि ग्राम रूपाकाखेड़ा की आराजी संख्या 1012 / 272 रकबा 0.07 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में लाडु पिता तिलोक 2 / 5, गेहरू पिता तिलोक 2 / 5, जोरू पिता तिलोक 1 / 5 कुमावत के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगणो के पिरजनो के सामने सीमांकन करने से मौके पर काफी वर्षो पुराने मकानात बने हुए पाये गये जिसमें 200 वर्गमीटर भूमि डाउ पिता केला कुमावत के मकान, 200 वर्गमीटर पर नारायण पिता रामा गुर्जर का मकान व 200 वर्गमीटर भूमि पर भोजा पिता केला गुर्जर का मकान बने हुए शेष रकबा रास्ते के रूप में होकर पड़त है। भोजा पिता केला कुछ भाग की भूमि [illegible] है जिस पर बाउन्ड्री वाल बना रखी है उसमें पुराने मकानात जिसको तोड़कर नया बनाने [illegible] छोड़ रखा है।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की [illegible] सुनी गई –

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:21:09 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान जवाब पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया किया कि उभयपक्षो के मध्य इनके पूर्वजो के द्वारा भूमि का आपसी विनिमय किया गया है और पक्षकार विनिमय अनुसार काबिज है। विपक्षीगण के द्वारा नया कब्जा करने का प्रयास नही किया जा रहा है अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

मैने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार करने पर पाया कि ग्राम रूपाकाखेड़ा की आराजी संख्या 1012/272 रकबा 0.07 है0 भूमि लाडु पिता तिलोक 2/5, गेहरू पिता तिलोक 2/5, जोरू पिता तिलोक 1/5 कुमावत के नाम दर्ज रेकार्ड है किन्तु उक्त आराजी के बदले प्रार्थीगणो के पूर्वजो के द्वारा ग्राम रूपाकाखेड़ा की आराजी संख्या 189 रकबा 0.10 है0, 190 रकबा 0.11 है0 कुल किता 2 रकबा 0.21 है0 में 1/2 हिस्सा विपक्षीगण के नाम दर्ज है जो प्रार्थीगणो को भूमि विनिमय के बदले दी गई है जिसमें प्रार्थीगण का कब्जा है और आराजी संख्या 1012/272 रकबा 0.07 है0 भूमि प्रार्थीगणो के परिवार के नाम दर्ज है किन्तु मौके पर प्रार्थीगणो के परिवार का कोई कब्जा नही है। तहसीलदार रायपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार इस आराजी में मौके पर मकान बने हुए है। और कुछ रकबा रास्ते के रूप में पड़त है। प्रार्थी व विपक्षीगण के पूर्वजो के द्वारा आपसी भूमि विनिमय किया गया है जिसके अनुसार उभपक्ष काबिज है। विनिमय पत्र अनुसार भूमि पक्षकारान के नाम नही होकर मूल खातेदारान के नाम ही दर्ज है जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रार्थीगण का कब्जा इस भूमि के बदले आराजी संख्या 189, 190 पर विनिमय की सीमा तक कब्जा होना विपक्षी अधिवक्ता द्वारा बताया गया है।

उपरोक्त विवरण अनुसार मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा कि प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्टया नही है न प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है बल्कि प्रार्थीगण के कब्जे विनिमय शुदा भूमि होते हुए भी विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा चाहता है जो उचित नही है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है फिर भी उभयपक्षकरान के मध्य आगे विवाद नही बढ़े इसके लिये मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पांबद किया न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. आंशिक स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक उभपक्षकारान के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम रूपाकाखेड़ा की आराजी संख्या 1012/272 रकबा 0.07 है0 भूमि के रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 16:21:09 IST
Reason: SelfAttested

30/03/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
असिस्टेन्ट कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा